छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा   द्वादश सत्र   अंक-10

रायपुर, गुरूवार, दिनांक 28 फरवरी, 2013

(फाल्गुन-8, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 03, 05, 06, 07, 09 से 14, 18, 19, 20, 22 एवं 23 (कुल 16) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 02, 04, 08, 15, 16, 17 एवं 21 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री रामदयाल उईके, (डॉ.) शिवकुमार डहरिया, ब्रम्हानंद नेताम, विरेन्द्र कुमार साहू, परेश बागबाहरा, हृदयराम राठिया एवं नंदकुमार पटेल अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 25 तारांकित एवं 34 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने रायगढ़ जिले में निर्माणाधीन कलमा बैराज के निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भईयालाल राजवाड़े, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री लेखराम साहू, ताम्रध्वज साहू, सदस्य ने मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना अंतर्गत मूक बधिर बच्चों को पुरानी तकनीक वाले स्प्रिंट मॉडल के कॉकलियर इंप्लांट किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

3. नियम 267 क के अंतर्गत विषय

(1) श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा के विकासखंड बम्हनीडीह के ग्राम लखुर्री में विद्युत अव्यवस्था होने,

(2) श्री शिवराज सिंह उसारे, सदस्य ने धान खरीदी केन्द्रों में अवैध रूप से धान बेचे जाने।

(3) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने विकासखंड बलौदा ग्राम दहकोनी के पूर्व सरपंच द्वारा वर्तमान सरपंच को रिकार्ड नहीं सौंपे जाने, तथा

(4) डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने शासकीय प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला (घाटकछार) छिबर्रा में अध्यापन, मध्याह्न भोजन कार्य प्रभावित होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी ।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 01 मार्च, 2013 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्प पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	*सदस्य का नाम*	*समय*
1. (क्रमांक - 07)	श्री सौरभ सिंह	30 मिनट
2. (क्रमांक - 11)	श्री महंत रामसुंदर दास	1 घंटा
3. (क्रमांक - 12)	डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी	1 घंटा

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) श्री राजू सिंह ठाकुर, सभापति ने याचिका समिति का नवम् एवं दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गयी :-

(1) डॉ.हरिदास भारद्वाज

(2) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम

(3) श्री सौरभ सिंह

6.वर्ष 2013-2014 की अनुदान मांगों पर चर्चा

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने पुलिस से संबंधित मांग संख्या 3, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्ययों से संबंधित मांग संख्या 4, जेल से संबंधित मांग संख्या 5, सहकारिता से संबंधित मांग संख्या 17 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-3 पर डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सर्वश्री मोहम्मद अकबर, धर्मजीत सिंह, डॉ. शक्राजीत नायक, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्रीमती अंबिका मरकाम **मांग संख्या-4 पर** डॉ.शक्राजीत नायक, डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री सौरभ सिंह **मांग संख्या-5 पर** डॉ.शक्राजीत नायक, डॉ. हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-17 पर** डॉ.शक्राजीत नायक एवं श्री अग्नि चंद्राकर, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री विरेन्द्र कुमार साहू

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अग्नि चन्द्राकर, खेदूराम साहू (श्री अमरजीत भगत-अनुपस्थित) श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, श्री सौरभ सिंह, डा.कृष्णमूर्ति बांधी, श्री लेखराम साहू,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

(श्रीमती सुमीत्रा मारकोले-अनुपस्थित) श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सर्वश्री दूजराम बौद्ध, रामपुकार सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री शिवराज सिंह उसारे।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.47 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनाँक 4 मार्च, 2013 (फाल्गुन, 13 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा